दावा अन्तर्गत धारा :– 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय दिनांक :– 15.09.2020

वादी की और से श्री सुरेन्द्र सिहाग अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की और से श्री अमरिकसिंह अधिवक्ता आज दिनांक 15.09.2020 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 1 नक्षत्रसिंह उर्फ बिल्लुसिंह पुत्र श्री हजूरसिंह जाति जटसिख निवासी जोड़किया तहसील व जिला हनुमानगढ़ के नाम चक 17 एल.एल.डबल्यू. खाता 40/37 मे दर्ज 4.217 हैक्टर भूमि में वर्तमान प्रविष्ठी को विलोपित किया जाकर वादी संख्या 1 गुरप्रीतसिंह व प्रतिवादी संख्या 2 लखवीरसिंह पुत्रान श्री नक्षत्रसिंह उर्फ बिल्लुसिंह जाति जटसिख निवासी जोड़किया तहसील व जिला हनुमानगढ़ को 3.036 हैक्टर मय गैरमुमकिन भूमि बहिस्सा बराबर तथा प्रतिवादी संख्या 1 नक्षत्रसिंह उर्फ बिल्लुसिंह पुत्र श्री हजूरसिंह जाति जटसिख निवासी जोड़किया तहसील व जिला हनुमानगढ़ को 1.181 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/ गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 15.09.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner